हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी
Board of School Education Haryana, Bhiwani
(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969)
(ISO 9001 : 2015 - Certified Organization)
आज़ादी का अमृत महोत्सव

# "प्रेस नोट"

## हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा–2021

सभी सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम दिनांक 28.01.2022 को घोषित किया गया था। परिणाम घोषणा के बाद कुछ परीक्षार्थियों के परिणाम में आंशिक सुधार/संशोधन हुआ था। जिन परीक्षार्थियों के परिणाम में आंशिक सुधार/संशोधन हुआ था ऐसे परिणाम अनुत्तीर्ण से उत्तीर्ण कुल 175 परीक्षार्थियों को दिनांक 10.05.2022 से 13.05.2022 तक अपनी Iris Boimetric Verification पूर्ण करने का अवसर दिया गया था।

कुछ बिना परिणाम संशोधित परीक्षार्थी जो Iris Boimetric Verification प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु दिए गए अवसर में बुलाने पर भी उपस्थित नहीं हुए है। ऐसे वैरीफिकेशन अपूर्ण परीक्षार्थियों का परीक्षार्थी के स्तर पर परीक्षा परिणाम लम्बित **RLV(result late due to verification)** पडा है।

अतः परीक्षार्थियों के हित को देखते हुए परिणाम संशोधित व बिना परिणाम संशोधित जो परीक्षार्थी वैरफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु दिए गए अवसर/अवसरों में अनुपस्थित रहे है ऐसे वैरीफिकेशन से वंचित सभी शेष परीक्षार्थियों को दिनांक 03.08.2022 व 04.08.2022 को (प्रातः 9:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक) अपनी **IRIS Biometric Verification** पूर्ण करने का अवसर दिया जा रहा है। परीक्षार्थी उक्त तिथियों में उपस्थित होकर अपनी वैरीफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

वैरिफिकेशन केन्द्र अध्यापक भवन, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी रहेगा। परीक्षार्थी के लिए अपना एक फोटोयुक्त पहचान–पत्र एवं प्रवेश–पत्र (admit card) लेकर आना अनिवार्य है। जिन परीक्षार्थियों को बायोमैट्रिक वैरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है उनकी **combind list of absent during Iris biometric Verification candidates htet-2021**, बोर्ड की अधिकारिक वैबसाईट www.bseh.org.in पर उपलब्ध है। सूची में दिए गये अनुक्रमांकों/परीक्षार्थीयों द्वारा ही अपनी **IRIS Biometric Verification** प्रक्रिया पूर्ण की जानी है। परीक्षार्थियों को उनके ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरे गए पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर भी संदेश भेज जा रहे है।

माननीय उच्च न्यायालय, पंजाब एण्ड हरियाणा, चण्डीगढ द्वारा पारित आदेशों की अनुपालना में परिणाम घोषणा से पूर्व परीक्षार्थी की बायोमैट्रिक वैरीफिकेशन अनिवार्य हैं। इसलिए जो परीक्षार्थी उक्त तिथियों में अपनी Iris Boimetric Verification वैरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण नहीं करता है उसका परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। इसके लिए परीक्षार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। ऐसे परीक्षार्थी जो Iris Boimetric Verification वैरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण के लिए उपस्थित हुए है परन्तु तकनिकी कारणों से वैरीफिकेशन विफल रही है ऐसे परीक्षार्थियों के सत्यापन करने बारे अलग से प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

हस्ता0
**अध्यक्ष**